न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियां जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–276 / 2019

प्रार्थीः–

प्रदीपकुमार पुत्र सोनाराम जाति विष्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

–:: बनाम ::–

अप्रार्थीः–

सरकार जरिये तहसीलदार, ओसियां जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश मदेरणा एडवोकेट प्रार्थी की और से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–30.10.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम श्री रावतनगर पटवार हल्का सिरमंडी के खेत खसरा नम्बर 3132 रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 3160 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 3161 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 2926 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 2970 रकबा 12.12 बीघा, खसरा नम्बर 3166 रकबा 12.12 बीघा, खसरा नम्बर 3167 रकबा 01.05 बीघा, खसरा नम्बर 3168 रकबा 06.13 बीघा भूमि व राजस्व ग्राम सिरमंडी के खसरा नम्बर 2772 रकबा 58.01 बीघा, खसरा नम्बर 2788 रकबा 18.12 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता सोनाराम पुत्र [illegible] के नाम की खातेदारी व कब्जा काष्त सुदा भूमि आई हुंई थी। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र [illegible] बताया कि प्रार्थी के पिता स्व. सोनाराम के देहांत के पष्चात् [illegible] स्वीकार करते वक्त प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों के नाम [illegible] जबकि प्रार्थी का नाम अन्य परिचय पत्र व राषन कार्ड आदि में प्रदीपकुमार पुत्र [illegible]नाराम नाम अंकित है, जबकि राजस्व रेकर्ड में उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करते समय प्रार्थी का नाम सहवन से पपूराम दर्ज कर दिया गया। अतः उक्त दोनों ग्रामों में दर्ज नामान्तरकरण में सहवन से पपूराम नाम दर्ज हो गया है, जो गलत है, सही नाम प्रदीपकुमार पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सोनाराम है, जो कि पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से साबित है। अतः प्रार्थी के सही नाम प्रदीपकुमार पुत्र सोनाराम का अंकन पपूराम के स्थान पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, ओसियां को जरिये नोटिस तलब किया गया, तहसीलदार, ओसियां ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत जांच कर अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम सिरमंडी के नामान्तरकरण संख्या 340 में सोनाराम फौत के स्थान पर पपूराम पि. सोनाराम का नाम सह खातेदार के रूप में दर्ज है, आवेदक के राषन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड में प्रदीपकुमार पुत्र सोनाराम दर्ज है तथा जांच करने पर पाया कि पपूराम व प्रदीपकुमार एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र व आवेदन अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम पपूराम पुत्र सोनाराम के स्थान पर प्रदीपकुमार पुत्र सोनाराम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

मैंने उभय पक्षकारान की बहस सुनी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया गया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 उचित आधारों पर आधारित पाया जाता है तथा अप्रार्थी तहसीलदार, ओसियां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित है, जो स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है तथा तहसीलदार, ओसियां की रिपोर्ट से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार, ओसियां की रिपोर्ट का खंडन नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत पूर्णतया ठोस आधार प्रकट होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, ओसियां को आदेषित किया जाता है कि प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार रावतनगर पटवार हल्का सिरमंडी के खेत खसरा नम्बर 3132 रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 3160 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 3161 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 2926 रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 2970 रकबा 12.12 बीघा, खसरा नम्बर 3166 रकबा 12.12 बीघा, खसरा नम्बर 3167 रकबा 01.05 बीघा, खसरा नम्बर 3168 रकबा 06.13 बीघा भूमि व राजस्व ग्राम सिरमंडी के खसरा नम्बर 2772 रकबा 58. 01 बीघा, खसरा नम्बर 2788 रकबा 18.12 बीघा भूमि में खातेदार पपूराम पुत्र सोनाराम के स्थान पर प्रदीपकुमार पुत्र सोनाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार, ओसियां राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के सही नाम प्रदीपकुमार पुत्र सोनाराम का अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.20[illegible] ... लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:40 IST
Reason: SelfAttested

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner